

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै० भारत पेट्रोलियम कॉ० लि०, बरेली द्वारा रामपुर-बरेली मार्ग किमी० चैनेज-206.18 की दांयी पटरी पर ग्राम-रौराकला व मेंहदीनगर के खसरा/गाटा संख्या-222 व 154 पर विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट का कार्य प्रस्तावित है।

संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर याचक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अर्थात् वन संरक्षण अधिनियम-1980 यथासंशोधित-1988 की धारा-02 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

दिनांक-

स्थान- रामपुर।


राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रामपुर।